रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20082024-256502
CG-MH-E-20082024-256502

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946
No. 472]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 16 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 511(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परमाणु ऊर्जा विभाग निदेशक (सुरक्षा और समन्वयन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र) भर्ती नियम, 2012 और परमाणु ऊर्जा विभाग (सुरक्षा काडर) भर्ती नियम, 2012 को जहां तक उनका संबंध मुख्य सुरक्षा अधिकारी और उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पदों से हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग में सुरक्षा काडर के समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (सुरक्षा काडर) समूह ‘क’ भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन – ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अ-चयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी।	11*(2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपए)।	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में ऐसे सुरक्षा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1 -** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2 -** पात्र अधिकारियों को लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार में उपस्थित होना अपेक्षित है और पैनल में शामिल करने के लिए नामों की सिफारिश करते समय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। **टिप्पण 3 -** प्रोन्नत अधिकारियों को नियुक्ति पर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित है। **टिप्पण 4 -** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : भारतीय पुलिस सेवा काडर के अधिकारी या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अन्य सदृश सेवा या संगठनों के अधिकारी : (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रुपए) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. सुरक्षा मामलों के प्रभारी अपर सचिव या संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग – अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक (सुरक्षा), परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य 3. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से भिन्न परमाणु ऊर्जा विभाग की यूनिट के प्रमुख – सदस्य। 4. नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र – सदस्य।	लागू नहीं होता।

के उसी या किसी अन्य विभाग के संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी।	4*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में ऐसे उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1 -** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2 -** चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शामिल होगा। **टिप्पण 3 -** प्रोन्नत अधिकारियों को नियुक्ति पर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित है। **टिप्पण 4 -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : भारतीय पुलिस सेवा काडर के अधिकारी या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अन्य सदृश सेवा या संगठनों के अधिकारी:	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र – अध्यक्ष 2. सुरक्षा मामलों के प्रभारी अपर सचिव या संयुक्त सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य 3. महानिरीक्षक (सुरक्षा), परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य 4. समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग के संगठन या में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. निदेशक (सुरक्षा और समन्वय)।	2*(2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (ii) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपए) में ऐसे मुख्य सुरक्षा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1 -** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2 -** चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शामिल होगा। **टिप्पण 3 -** प्रोन्नत अधिकारियों को नियुक्ति पर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित है। **टिप्पण 4 -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग – अध्यक्ष; 2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र – सदस्य; 3. अपर सचिव / संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य; 4. महानिरीक्षक (सुरक्षा), परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य; 5. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट सुसंगत विषय विशेषज्ञ – सदस्य।	लागू नहीं होता।

जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : भारतीय पुलिस सेवा काडर के अधिकारी या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अन्य सदृश सेवा या संगठनों के अधिकारी मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हों। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग के संगठन या इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 19/13/2022-सीसीएस/11841]

ए.आर.सुले, अपर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th August, 2024

G.S.R. 511(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Atomic Energy Director (Security and Coordination, Bhabha Atomic Research Centre) Recruitment Rules, 2012 and the Department of Atomic Energy (Security Cadre) Recruitment Rules, 2012 in so far as they relates to the posts of Chief Security Officer and Deputy Chief Security Officer, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' posts of Security Cadre in the Department of Atomic Energy, namely:-

1. Short title and commencement**. -** (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Security Cadre) Group 'A' posts Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. **-** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. **-** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward class, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of the Post.	**Number of Posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Deputy Chief Security Officer**.**	11*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.	Selection.

Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualification required for direct recruits**
(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment – whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled in various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	One year.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion /deputation/transfer to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion: Security Officers in Level 8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade.	Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Not applicable.

Note 1.- The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be the 1st January of the vacancy year. **Note 2.-** Eligible officers are required to appear for written exam followed by interview and the marks obtained in the written examination shall be taken into consideration by the selection committee while recommending the names for empanelment. **Note 3.-** Promotee Officers are required to undergo training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy on appointment. **Note 4.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers from Indian Police Service Cadre or officers from other analogous service or organisations related to national security: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years of regular service rendered after appointment to the post on regular basis in Level 10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix. **Note 1.-** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3.–** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	1. Additional Secretary or Joint Secretary, Department of Atomic Energy in charge of Security matters- Chairperson 2. Inspector General (Security), Department of Atomic Energy- Member. 3. Head of the unit of Department of Atomic Energy other than Bhabha Atomic Research Centre- Member. 4. Controller, Bhabha Atomic Research Centre- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Chief Security Officer.	4*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix.	Selection.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Chief Security Officer in Level 11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix with five years of regular service in the grade. **Note 1.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be the 1st January of the vacancy year. **Note 2.-** The selection shall involve interview of the candidate. **Note 3.-** Promotee Officers are required to undergo Training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy on appointment. **Note 4.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers from Indian Police Service Cadre or officers from other analogous service or organisations related to the national security: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years of regular service rendered after appointment to the post on regular basis in Level 11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix. **Note 1.-** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately	Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director, Bhabha Atomic Research Centre- Chairperson 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Department of Atomic Energy in charge of Security matters- Member 3. Inspector General (Security), Department of Atomic Energy – Member 4. One outside expert to be nominated by the Chairman of the Committee- Member.	Not applicable.

preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3.– The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Director (Security and Coordination)	2*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 (Rs.123100-215900) in the pay matrix	Selection.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	(i) Fifty per cent. by promotion; (ii) Fifty per cent. by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Chief Security Officer in Level 12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix with five years regular service in the grade. **Note 1.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be the 1st January of the vacancy year. **Note 2.-** The selection shall involve interview of the candidate. **Note 3.-** Promotee Officers are required to undergo training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy on appointment. **Note 4.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers from the Indian Police Service Cadre or officers from other analogous service or organisations related to the national security holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department. **Note 1.-** The Departmental Officers in the feeder category who	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Secretary, Department of Atomic Energy- Chairperson; 2. Director, Bhabha Atomic Research Centre- Member; 3. Additional Secretary/ Joint Secretary, Department of Atomic Energy – Member; 4. Inspector General (Security), Department of Atomic Energy – Member; 5. Expert in the relevant discipline to be nominated by Secretary, Department of Atomic Energy - Member.	Not applicable.

are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**.- The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3.**– The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 19/13/2022-CCS/11841]

A. R. SULE. Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.08.20 23:10:59 +05'30'